पत्र सं०–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 6112 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, भा०प्र०से०
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 17 / 11 / 2026.

XX
अनौपचारिक रूप से पसन्दीकृत।

XX
द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹ 2.50 करोड़ (₹ दो करोड़ पचास लाख) मात्र की लागत व्यय पर गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–1829, दिनांक–22.04.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल ₹ 2.50 करोड़ (₹ दो करोड़ पचास लाख) मात्र की लागत व्यय पर गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार की योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गव्य विकास निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं को जिला स्तर / राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार करना है।

3. गव्य प्रक्षेत्र से संबंधित कई महत्वकांक्षी योजना विभाग स्तर से अथवा कॉम्फेड, पटना के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिससे संबंधित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार जिला एवं प्रखण्डों में होर्डिंग के माध्यम से किये जाने / सोनपुर, बौंसी एवं राजगीर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मेला में विभागीय मंडप का निर्माण / मेला प्रदर्शनी में फ्लैक्सी बैनर, लीफलेट, हैण्डबील आदि के द्वारा आगन्तुकों को गव्य विकास अन्तर्गत चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं एवं गव्य व्यवसाय के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना / विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की पुस्तिका, वार्षिक प्रशासी प्रतिवेदन एवं पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं मुद्रण करना आदि कार्य।

4. वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कृषकों द्वारा पराली जलाये जाने के कारण पर्यावरण को संरक्षण हेतु सघन रूप से प्रचार–प्रसार कार्यक्रम चलाये जाने के मद्देनजर फ्लेक्सी बैनर, लीफ लेट, हैण्डबील, ब्रोसर्स / स्टीकर, चार्ट, डिजीटल डिस्प्ले, स्टैंडी इत्यादि के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार तथा कृषकों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी बुकलेट यथा– दुधारू पशुओं में बांझपन प्रबंधन, पशुओं में कीलनी, मक्खी और कृमि नियंत्रण, पशुओं

1 Typed by Sanjay Kumar

में संक्रामक रोग एवं प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम, नवजात बाछी की देख–भाल, गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन, गोपालन पर पर्यावरण का प्रभाव, गोपालन की आधुनिक एवं उपयोगी तकनीकें, दूध का व्यापार आर्थिक मुनाफे का आधार, मनचाही संतान सेक्स सॉर्टेड सीमेन है समाधान, कृत्रिम गर्भाधान बनाये रहे आसान इसके अतिरिक्त गोपालक कैलेन्डर का मुद्रण, डेयरी से संबंधित सफलता की कहानी एवं लघु फिल्म निर्माण/विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सेमिनार/कार्यशाला/योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु विभागीय वेबसाईट पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय आदि कार्य किये जायेंगे, जिससे योजनाओं का सुगम संचालन किया जा सकेगा।

5. प्रचार–प्रसार की योजना अन्तर्गत बजट शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020115 अन्तर्गत विषय शीर्ष–2601 –विज्ञापन और प्रकाशन मद से विकलनीय होगा।

6. इस स्कीम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य, बिहार, पटना अथवा इनके द्वारा गव्य निदेशालय स्तर पर प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे। आंतरिक वित्तीय सलाहकार के सहमति उपरान्त निदेशक, गव्य आवंटनादेश निर्गत करेंगे।

7. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से किया जायेगा।

8. यह स्कीम एक चालू राज्य स्कीम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6)07/2018 के पृष्ठ–88/टि०, दिनांक–13.11.2026.

9. निदेशक, गव्य, बिहार, पटना इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं स्कीम के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे।

10. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस० (6)07/2018 के पृ०–87/टि० डायरी सं०–768, दिनांक–12.11.2026.

11. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. वित्त विभाग की परिपत्र–2561, दिनांक–17.04.1998 के क्रम में व्यय की जाय।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 6112 /पटना–15, दिनांक– 17 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा / बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 6112 /पटना–15, दिनांक– 17 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 6112 /पटना–15, दिनांक– 17 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 6112 /पटना–15, दिनांक– 17 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना के बजट शाखा / योजना शाखा / लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 6112 /पटना–15, दिनांक– 17 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)07 / 2018– 6112 /पटना–15, दिनांक– 17 / 11 / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

3 Typed by Sanjay Kumar

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार की योजना से सम्बन्धित व्यय विवरणी ।
गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए –

(रु० करोड़ में)

विपत्र कोड	मद का नाम	व्यय की जाने वाली अनुमानित राशि
विपत्र कोड 02–2404001020115 विषय शीर्ष–2601 –विज्ञापन और प्रकाशन"	गव्य विकास से संबंधित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार जिला एवं प्रखण्डों में होर्डिंग के माध्यम से किये जाने/बिहार राज्य अन्तर्गत सोनपुर, बौसी एवं राजगीर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मेला में विभागीय मंडप का निर्माण/योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु विभागीय बेवसाईट पर होने वाले व्यय/मेला प्रदर्शनी में फ्लैक्सी बैनर, लीफलेट, हैण्डबील आदि के द्वारा आगन्तुकों को गव्य प्रक्षेत्र से संबंधित कई महत्वकांक्षी योजना विभाग स्तर से अथवा कॉम्फेड, पटना के माध्यम से संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं गव्य व्यवसाय के संबंध में महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने तथा राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत योजना क्रियान्वयन अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कृषकों द्वारा पराली जलाये जाने के कारण पर्यावरण को संरक्षण हेतु सघन रूप से प्रचार–प्रसार कार्यक्रम चलाये जाने के मद्देनजर फ्लेक्सी बैनर, लीफ लेट, हैण्डबील, ब्रोसर्स/स्टीकर, चार्ट के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार तथा कृषकों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी बुकलेट यथा दुधारू पशुओं में बांझपन प्रबंधन, पशुओं में कीलनी, मक्खी और कृमि नियंत्रण, पशुओं में संक्रामक रोग एवं प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम, नवजात बाछी की देख–भाग, गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन, गोपालन पर पर्यावरण का प्रभाव, गोपालन की आधुनिक एवं उपयोगी तकनीकें, दूध का व्यापार आर्थिक मुनाफे का आधार, मनचाही संतान सेक्स सॉर्टेड सीमेन है समाधान, कृत्रिम गर्भाधान बनाये रह आसान इसके अतिरिक्त गोपालक कैलेन्डर का मुद्रण, डेयरी से संबंधित सफलता की कहानी एवं लघु फिल्म निर्माण/विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सेमिनार/कार्यशाला के आयोजन पर होने वाले अनुमानित व्यय–	2.50
	योग :–	**2.50**

कुल (रुपये दो करोड़ पचास लाख) मात्र।

सरकार के [illegible] सचिव

4 Typed by Sanjay Kumar